तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 22/2022 दिनेश जैन बनाम गफफार उर्फ गफूर व अन्य अर्न्तगत धारा 88,188आरटीए
22.04.2022	वादी/प्रार्थी के अभिभाषक के द्वारा आवेदन पत्र बाबत वाद विड्रो एंव नवीन वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति बाबत का प्रस्तुत कर पत्रावली आज ही तलब कर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली तलब होकर हमारे समक्ष पेश हुई। प्रार्थी/वादी अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक वाद न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि वादी के द्वारा वाद पत्र वाद पत्र के समय वर्तमान जमाबन्दी के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद प्रस्तुति के उपरान्त वादी को यह जानकारी हुई की प्रतिवादी संख्या 1 का स्वर्गवास वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुका है।ऐसी अवस्था मे वाद पत्र फार्मल डिफेक्टीव है। वाद पत्र प्रस्तुति के पश्चात भू0अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी मे परिर्वतन भी हुआ है। इस कारण वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को विड्रो किये जाने एंव नवीन वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनो के समर्थन मे वादी के द्वारा वाद आदेश्किा पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये जिन्हे उनके अभिभाषक द्वारा पहचान कर अपने हस्ताक्षर अंकित किये चूंकि वादी स्वंय फार्मल डिफेक्ट के कारण उक्त वाद को विड्रो करना व नवीन वाद प्रस्तुत करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र विड्रो स्वीकार किया जाता है। इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादी नवीन वाद लाने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर